



2026:AHC:46042

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3109

श्रीमती अंजना

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अतुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर तैनात है। वह मुख्य पर्यवेक्षिका के पद पर पदोन्नति की मांग कर रही है।
3. वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 29.08.2025 के प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद का तर्क है कि पदोन्नति उपयुक्तता, पात्रता और नियमावली के अधीन है। तथापि, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि पदोन्नति हेतु कोई प्रक्रिया अमल में लाई गई है।
5. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस अपेक्षा के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष (प्रत्यावेदन) प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त, पात्र तथा अर्ह है और वह नियमावली के ढांचे के भीतर आती है, तो उसके पदोन्नति के मामले पर विधि सम्मत विचार किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।